

**उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास, अनुभाग-5
संख्या-912/न0वि0-5-19-404SA/2017
लखनऊ: दिनांक ०४ मार्च, 2019
अधिसूचना**

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्या-1061/न0वि0-5-18-404एसए/2017, दिनांक 16.10.2018 प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 153 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-495-एमएम(नि0-3)/11-सी कारपो0 (सात) 57, दिनांक 30 जनवरी, 1960 में बनायी गयी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली, संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं;

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी;

(2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों में लागू होगी;

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी;

सामान्य संशोधन

2. सरकारी अधिसूचना संख्या 495म0(नि0-3)/ग्यारह-सी0-कारपो0 (सात0) 57 दिनांक 30 जनवरी 1960 में बनायी गयी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में शब्द "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली", "नगर महापालिका" और "महापालिका" जहाँ कहीं शीर्षक सहित आये हों, के स्थान पर शब्द क्रमशः "उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली, 1960", "नगर निगम" और "निगम" रख दिये जायेंगे।

नियम 2 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नियम 2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान उप नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम)
2.(1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में :-	2.(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उ० प्र० नगर महापालिका अधिनियम, 1959 से है

(ख) "बैंक" का तात्पर्य स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंको से है जो महापालिका अधिनियम की धारा 139 की उपधारा(2) के अधीन निर्दिष्ट करें और

(ग) "लेखा अधिकारी" का तात्पर्य महापालिका के ऐसे पदाधिकारी या पदधारी से है जो उसके लेखों के समुचित रूप से रखे जाने के लिये उत्तरदायी हो। मुख्य नगराधिकारी इन नियमों में लेखा अधिकारी के विहित कर्तव्यों में से कोई लिखित आज्ञा द्वारा महापालिका के किसी अन्य ऐसे सेवक को सौंप सकता है, जिसे लेखा प्रक्रिया तथा महापालिका के नियमों का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हो और इस दशा में इन नियमों के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह लेखा अधिकारी के कर्तव्यों को सम्पादित कर रहा है।

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;

(ख) "लेखा अधिकारी" का तात्पर्य निगम के ऐसे अधिकारी या पदधारी से है जो उसके लेखाओं के समुचित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। मुख्य नगर अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, इस नियमावली में लेखा अधिकारी के लिए विहित कर्तव्यों में से कोई भी कर्तव्य, निगम की लेखा प्रक्रिया तथा नियमों का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले निगम के किसी अन्य कर्मचारी को समनुदेशित कर सकता है और ऐसे मामलों में ऐसे व्यक्ति को इस नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखा अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ माना जायेगा;

(ग) "लेखा नियम-संग्रह" का तात्पर्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी और प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के अनुसार नगर पालिका लेखा तथा वित्तीय विवरण अनुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम-संग्रह" से है;

(घ) "लेखा परीक्षक" का तात्पर्य मुख्य नगर आंतरिक लेखा परीक्षक, वाह्य लेखा परीक्षक, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान का सदस्य होगा अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य लेखा-परीक्षक से है ;

(ङ) "बैंक" का तात्पर्य भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य ऐसे अन्य अनुसूचित बैंक या बैंकों से है जैसा कि निगम, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन नियत करे।

नियम 3 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<p>3. (1)राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना इन नियमों में विहित लेखा प्रपत्रों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और न कोई नया प्रपत्र बढ़ाया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि महापालिकायें बैंकों के साथ अपने संव्यवहार में इन नियमों में विहित प्रपत्रों के स्थान पर बैंकों के प्रपत्रों का प्रयोग कर सकती है।</p> <p>परन्तु यह कि जिस निगम की निधियों भारतीय स्टेट बैंक में रखी गयी हों, वह बैंक के साथ अपने लेन-देनों में इस नियमावली के अधीन विहित प्रपत्रों के स्थान पर बैंक के प्रपत्रों का प्रयोग कर सकता है।</p>	<p>3.(1) लेखा से सम्बन्धित विवरण के मामले में नगर निगम का मार्गदर्शन, लेखा नियम संग्रह और राज्य सरकार के अनुदेशों द्वारा किया जायेगा। इस नियमावली और लेखा नियम संग्रह में विहित प्रपत्रों में नगर निगमों में प्रायः किये जाने वाले समस्त प्रकार की धनराशियों के संव्यवहारों का उपबंध है। किसी नगर निगम द्वारा इन प्रपत्रों में कोई परिवर्द्धन या उपान्तरण और किसी नये लेखा प्रपत्र का उपबंध, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।</p> <p>परन्तु यह कि निगम, बैंकों के संव्यवहार में इस नियमावली में विहित प्रपत्रों के स्थान पर बैंक प्रपत्रों का प्रयोग कर सकते हैं।</p> <p>(2) जहाँ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों या नगर पालिकाओं के लिए लागू लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुपालन में शीर्षक/उपशीर्षक में परिवर्द्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन, लोप सहित विवेचन या प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन अथवा वित्तीय विवरणों या उसके किसी भाग में कोई पारस्परिक परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो, वहां ऐसा राज्य सरकार के प्रशासनिक आदेश द्वारा किया जायेगा और तदनुसार लेखा नियम संग्रह की अपेक्षाएं संशोधित मानी जायेगी।</p> <p>(3) लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय लेखाओं को निगम की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन और अंगीकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।</p>

नियम 75 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 75 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<p style="text-align: center;">स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)</p>	<p style="text-align: center;">स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)</p>
<p>75. निगम के लेखों का मासिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षा मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित रीति से संचालित की जायेगी—</p> <p>(क) समस्त भुगतानों की जैसे ही वे किये जाये, लेखा परीक्षा की जायेगी।</p> <p>(ख) समस्त प्राप्तियों की जैसे ही वे सामान्य रोकड़ बही के लेखे में दर्जा की जाये, परीक्षा की जायेगी।</p> <p>(ग) सहायक पुस्तकों तथा लेखों की परीक्षा प्रतिदिन अथवा मास के अन्त में, जैसा भी सुविधापूर्ण हो, की जा सकती है।</p>	<p>75.(1) निगम के लेखाओं का मासिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षा, मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा नीचे उल्लिखित रीति से संचालित की जायेगी:—</p> <p>(क) समस्त भुगतानों, जैसे ही वे किये जाये, की लेखा-परीक्षा की जायेगी। ;</p> <p>(ख) समस्त प्राप्तियों, जैसे ही वे सामान्य रोकड़ बही के लेखा में दर्ज की जायें, का परीक्षण किया जायेगा।</p> <p>(ग) सहायक पुस्तिकाओं तथा लेखाओं का दैनिक या मास के अन्त में, जैसा कि सुविधाजनक हो, परीक्षण किया जा सकता है।</p> <p>(2) मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र:</p> <p>प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर, मुख्य नगर लेखा परीक्षक नगर निगम की कार्यकारिणी समिति को त्रैमासिक आच्छादन के आधार पर निम्नलिखित रीति से प्रमाण पत्र प्रदान करेगा:—</p> <p>“प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक _____ से दिनांक _____ तक के लेखा, मेरे द्वारा लेखा परीक्षित किये गये हैं और निम्नलिखित मदों के अपवाद सहित सही पाये गये हैं।”</p> <p>टिप्पणी: अपवादों का स्पष्टीकरण विरतृत रूप से किया जाएगा;</p> <p>(3). त्रैमासिक प्रमाण पत्र/रिपोर्ट प्रदान करते समय मुख्य नगर लेखा परीक्षक यह सत्यापित करेगा कि:</p> <p>(क) क्या मूल प्रविष्टि बहियों में प्रविष्टियों हेतु प्रविष्टियां संबंधित बही लेखाओं में कर दी गयी है;</p> <p>(ख) क्या लेखा नियम-संग्रह और अन्य लागू विनियमों में विहित समस्त लेखा-बही और अनुपूरक रजिस्टर निगम द्वारा समुचित</p>

	<p>रूप से अनुरक्षित किये गये हैं?</p> <p>(ग) क्या त्रैमासिक वित्तीय विवरण लेखा-पुस्तिकाओं में वास्तविक प्रविष्टियों के आधार पर संकलित किये गये हैं?</p> <p>(घ) क्या विहित अवधि समाप्ति और समाधान प्रक्रियाएं क्रियान्वित की गयी हैं;</p> <p>(ङ) क्या बैंक समाधान विवरण तैयार कर लिए गए हैं तथा उपयुक्त हैं;</p> <p>(च) क्या समस्त सरकारी अनुदानों का लेखांकन, विभिन्न लेखाओं में समुचित प्रविष्टि सहित सकल मूल्य पर कर लिया गया है;</p> <p>(4) लेखाओं की परीक्षा और लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ, नगर निगम, लेखा-परीक्षा के समय समस्त लेखा रजिस्टर दस्तावेज और सहायक कागज पत्र, जो लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं, उपलब्ध करायेगा और अन्वेषण में उनकी सहायता करेगा।</p>
--	--

नियम 77 का 6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 77 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<p>77(1). एक वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन होगा, जिसके दो भाग होंगे</p> <p>(क) आपत्ति विवरण पत्र, जिसमें अनिस्तारित (Outstanding) आपत्तियाँ होगी, प्राविधिक, अनियमितताओं अकारणों तथा त्रुटियों के सम्बन्ध में होगा।</p> <p>(ख) लेखा परीक्षा की टिप्पणी में, जिसमें मासिक प्रतिवेदनों में प्राधिकारियों के ध्यान में लाये गये सामान्य तथा महत्वपूर्ण विषय समाविष्ट होंगे, प्राधिकारियों द्वारा उक्त विषयों पर की गई कार्यवाही भी वर्णित होगी। इसमें वे विवरण पत्र भी</p>	<p>77(1). नगर निगम के लेखाओं की वार्षिक लेखा-परीक्षा की जायेगी। अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अधीन लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों और मान्यताप्राप्त व्यावसायिक मानकों और प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए उसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, लेखा परीक्षा सम्पादित करेगा; वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तीन भागों में होगी:-</p> <p>(क) अनिस्तारित आपत्तियों सहित आपत्ति विवरण में तकनीकी अनियमितताएं, लोप तथा त्रुटियां व्यवहृत की जाएगी;</p> <p>(ख) मासिक रिपोर्टों में प्राधिकारियों के संज्ञान में लायी गयी सामान्य तथा महत्वपूर्ण मामलों से समाविष्ट लेखा-परीक्षा टिप्पणी में प्राधिकारियों द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही भी उल्लिखित होगी। इसमें नगर</p>

<p>सम्मिलित होंगे, जिनमें महापालिका की वित्तीय स्थिति दी होगी।</p> <p>(2) वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति, तैयार होते ही, मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायगी। राज्य सरकार प्रतिवेदन की प्राप्ति पर अपने विचार महापालिका को सूचित कर सकती है।</p>	<p>निगम की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण भी सम्मिलित है।</p> <p>(ग) लेखा परीक्षक रिपोर्ट में ऐसे किसी अन्य मामले में भी विनिर्दिष्ट रूप में रिपोर्ट होगी जिसे सरकार या नगर निगम लेखा-परीक्षा के अंश के रूप में आच्छादित किये जाने की विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा की हो;</p> <p>(2). लेखा परीक्षक, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर लेखा परीक्षा पूर्ण करेगा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा;</p> <p>अनुदेश टिप्पणी</p> <p>लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित उल्लेख होंगे:</p> <p>(एक) क्या उसने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जो उसके लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे?</p> <p>(दो) क्या उसकी राय में अधिनियम नियमावली, लेखा नियम संग्रह और किन्हीं अन्य अनुबंधों द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखा पुस्तिकाएं, जैसा कि उसके उन पुस्तिकाओं के परीक्षण से प्रकट हो, निगम द्वारा रखी गयी हैं?</p> <p>(तीन) क्या रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत किये गये निगमों के तुलनपत्र, आय और व्यय विवरण, प्राप्ति एवं संदाय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं?</p> <p>(चार) क्या उपयुक्त आन्तरिक नियन्त्रणों का पालन किया गया है?</p> <p>(पांच) क्या समस्त संदाय विधि के अनुसार किये गये हैं?</p> <p>(छः) क्या कोई कमी या क्षति किसी व्यक्ति की निरा उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुयी प्रतीत होती है? (यदि हाँ तो क्षति धनराशि की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए)</p> <p>(सात) क्या निगम की ओर से प्राप्त किसी धनराशि, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा नगर निगम के लेखा में प्रविष्टि की जानी चाहिए थी, की इस प्रकार प्रविष्टि कर दी</p>
---	---

गयी है?

(आठ) क्या कोई ऊपर उल्लिखित से भिन्न सारभूत अनौचित्य या अनियमितता उसके द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा के प्रक्रम के दौरान संप्रेक्षित की गयी है?

(नौ) क्या निगम द्वारा उपगत समस्त व्यय मौलिक या अनुवर्ती रूप से अनुमोदित बजट के समुचित उपबंध द्वारा प्राधिकृत है?

(दस) क्या निगम के प्रति देय या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों की प्रविष्टि विहित समय सीमाओं के भीतर लेखा में कर ली गयी है?

(ग्यारह) क्या समस्त संव्यवहार (आय, व्यय, परिसम्पत्ति तथा देनदारियां) उपयुक्त रूप से वर्गीकृत हैं?

(बारह) क्या समस्त कार्यों तथा अन्य व्यय के कारण प्रभारों हेतु समस्त देयकों के संबंध में समुचित प्रमाण पत्र उनके समर्थन में उपलब्ध कराये गये हैं और यह कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित योजनाओं तथा प्राक्कलनों से कोई विचलन नहीं किया गया है?

(तेरह) क्या विशिष्ट अनुदानों के रूप में प्राप्त धनराशियों का उपयोग, अनुदान अनुमोदन आदेश में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए कर लिया गया है?

(चौदह) क्या विशेष निधियां, सुसंगत परिनियमों के उपबंधों के अनुसार सृजित की गयी हैं और क्या विशेष निधियों का उपयोग, उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए सृजन किया गया है, कर लिया गया है?

(पन्द्रह) क्या निगम, परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियों को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों को अनुरक्षित कर रहा है, क्या इन स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन, प्रबंधन द्वारा युक्तियुक्त अंतरालों पर कर लिया गया है, क्या इस प्रकार के सत्यापन पर कोई सारभूत त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं और यदि ऐसा है तो क्या उन्हें लेखा पुस्तिकाओं में समुचित रूप में व्यवहृत कर लिया गया है?

(सोलह) क्या निगम द्वारा युक्तियुक्त अन्तरालों पर भण्डार गृह का भौतिक सत्यापन किया गया है?

(सत्रह) क्या निगम द्वारा अनुसरण की जाने वाली भण्डार गृह भौतिक सत्यापन प्रक्रियाएं, युक्तियुक्त तथा पर्याप्त हैं? यदि नहीं हैं तो ऐसी प्रक्रियाओं की अपर्याप्तताओं के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए?

(अठारह) क्या भण्डार गृहों का भौतिक सत्यापन के समय पुस्तकीय अभिलेखों से मिलान करने पर कोई सारभूत त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं और यदि ऐसा है तो उन्हें लेखा पुस्तिकाओं में समुचित रूप से व्यवहृत कर लिया गया है?

(उन्नीस) क्या भण्डार गृहों का मूल्यांकन, लेखा नियम संग्रह में निर्धारित किये गये लेखा सिद्धान्तों के अनुसार है? क्या भण्डार गृहों के मूल्यांकन का आधार वही है जो पूर्ववर्ती वर्ष में था? यदि मूल्यांकन के आधार में कोई विचलन पाया जाता है तथा ऐसे विचलन के प्रभाव, यदि सारभूत हो, के सम्बन्ध में सूचित किया जाना चाहिए?

(बीस) क्या ऐसे पक्षकार, जिन्हें निगम द्वारा ऋण अथवा ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान किये गये हैं यथा निर्धारित मूलधनराशि का प्रतिसंदाय कर रहे हैं और व्याज का भी नियमित रूप से संदाय कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या निगम द्वारा मूलधन और व्याज की वसूली के लिए युक्ति युक्त कदम उठाये गये हैं?

(इक्कीस) क्या भण्डार गृहों, जिनमें संघटक, संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं, के क्रय हेतु कोई पर्याप्त आंतरित नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है?


(बाइस) क्या किन्हीं अनुपयोगी अथवा क्षतिग्रस्त भण्डार गृहों को चिन्हित करने के लिए उचित प्रक्रियाएं विद्यमान हैं तथा क्या इस संबंध में क्षति, यदि कोई हो, के लिए, लेखाओं में उपबंध किया गया है?

(तेइस) क्या निगम समुचित प्राधिकारियों द्वारा कटौती किये गये भविष्य निधि देयों

	<p>तथा अन्य सांविधिक करों को नियमित रूप से जमा कर रहा है और यदि नहीं कर रहा है तो बकाये की सीमा क्या है? (चौबीस) क्या निगम स्रोत पर काटे गए करों (आयकर तथा संकर्म संविदा कर) और अन्य सांविधिक देयों को नियमित रूप से जमा कर रहा है तथा यदि नहीं कर रहा है तो ऐसे विलम्ब की प्रकृति और उसका कारण तथा जमा न की गयी धनराशि के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए?</p> <p>(पच्चीस) क्या कोई व्यक्तिगत व्यय, राजस्व लेखा से प्रभारित किये गये हैं, यदि ऐसा है तो उसके पूर्ण विवरण की सूचना दीजिए?</p> <p>(3) वार्षिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर अपना विचार निगम को संसूचित कर सकती है।</p> <p>(4) राज्य सरकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या नगर निगम लेखाओं की नमूना लेखा-परीक्षा और/या विशेष लेखा-परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त रूप से आदेश दे सकते हैं और उनके लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं।</p>
--	---

नियम 78क का 7. उक्त नियमावली में, नियम 78 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

78'क' अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में नगर निगम, त्रैमासिक अंतरालों पर, लेखा परीक्षा टिप्पणी, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण आदि को अपनी सरकारी वेबसाईट और केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर डालेगा और इन्हें सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए नगर निगम क्षेत्र में प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा।


 (मनोज कुमार सिंह)
 प्रमुख सचिव

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-5**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 912/NV-5-18-404SA/2017, Lucknow:
Dated March, 2019

**NOTIFICATION
No. 912/NV-5-18-404SA/2017
Lucknow: Dated 08 March, 2019**

Whereas Notification No-1061/NV-5-18-404SA/2017, dated 16.10.2018 was published to invite objections and suggestions with regard to the U.P. Nagar Mahapalika Account (First Amendment) Rules, 2018.

And whereas the objections and suggestions received with in the stipulated time have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers under section 153 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the U.P. Nagar Mahapalika Accounts Rules, framed in Government notification no.-495-Ma(Ni-3)/xi-c-corp.(vii)57, dated January 30, 1960.

**THE U.P. NAGAR MAHAPALIKA ACCOUNT
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2019**

**Short title,
extent and
commencement**

1. (1) These rules may be called the U. P. Nagar Mahapalika Accounts (First Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall be applicable in all Municipal Corporations of the State of Uttar Pradesh.
(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**General
Amendment**

2. In the U.P. Nagar Mahapalika Account Rules, framed in Government notification no. 495-Ma(Ni-3)/XI-C-corp.(VII)57, dated January 30, 1960 hereinafter referred to as the said rules, for the words "U.P. Nagar Mahapalika Account Rules", "Nagar

Mahapalika” and “Mahapalika” wherever occurring including heading, the words “Uttar Pradesh Municipal Corporation Account Rules, 1960”, “Municipal Corporation” and “Corporation” shall respectively be substituted.

Amendment of rule 2 3. In the said rules, in rule 2 for sub-rule (1) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 (Existing sub-rule)	Column-2 (Sub-rule as hereby substituted)
<p>(1) In these rules, unless there is something repugnant in the subject or context-</p> <p>(a) “The Act” means the U.P Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959;</p> <p>(b) “bank” means the State Bank of India or such other scheduled Bank or banks as the Mahapalika may appoint under sub-section (2) of section 139 of the Act; and</p> <p>(c) “Accounts officer” means the officer or official of the Mahapalika responsible for the proper maintenance of its accounts. The Mukhya Nagar Adhikari may, by an order in writing, assign any of the duties prescribed for the Accounts Officer in these rules to any other servant of the Mahapalika possessing</p>	<p>(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-</p> <p>(a) “Act” means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959;</p> <p>(b) “Accounts officer” means the officer or official of the Corporation responsible for the proper maintenance of its accounts. The Mukhya Nagar Adhikari may, by an order in writing, assign any of the duties prescribed for the Accounts Officer in these rules to any other employee of the Corporation possessing adequate knowledge and experience of accounts procedure and rules of the Corporation and in such cases such person shall be considered to be discharging the duties of Accounts Officer for the purposes of these rules;</p> <p>(c) “Accounts Manual” means the Uttar Pradesh Municipal Accounts Manual conforming to the guidelines issued by the Comptroller & Auditor General of India and duly adopted by the</p>

<p>adequate knowledge and experience of accounts procedure and rules of the Mahapalika and in such cases such person shall be considered to be discharging the duties of Accounts Officer for the purposes of these rules.</p>	<p>Government of Uttar Pradesh for maintaining municipal accounts and financial statements in accordance with accrual-based Double Entry Accounting System;</p> <p>(d) "Auditor" means a Municipal Chief/Internal Auditor, External Auditor who shall be a member of the Institute of Chartered Accountants of India, or Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India or any other Auditor appointed by the State Government;</p> <p>(e) "Bank" means the State Bank of India or such other scheduled bank or banks as the Corporation may appoint under sub-section (2) of section 139 of the Act;</p>
--	--

Amendment of rule 3

4. In the said rules, for rule 3 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
<p>3. (1) The account Forms prescribed in these rules shall not be altered and no new Form added without the sanction of the state Government.</p> <p>Provided that the Mahapalikas may use the Banks' forms in their transactions with the Bank in place of those prescribed in</p>	<p>3.(1) In the matter of details connected with accounts, the Municipal Corporation shall be guided by the instructions of the Accounts Manual and the State Government. The Forms prescribed in these rules and the Accounts Manual provide for all classes of transactions of moneys usually occurring in municipalities. No addition to, or modification of, these Forms, and no new Form of account shall be made by any Municipal Corporation without the prior</p>

these rules.	<p>approval of the State Government.</p> <p>Provided that the Corporations may use the Banks' Forms in their transactions with the Bank in place of those prescribed in these rules.</p> <p>(2) Where in compliance with the requirements of the guidelines as may be issued from time to time by the Comptroller and Auditor General of India or of the Accounting Standards applicable to the Municipalities require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or omission in the head/sub-head or any change inter se, in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made by the administrative order of the State Government and the requirements of the Accounts Manual shall stand modified accordingly.</p> <p>(3) The audited annual final accounts shall be placed before the Executive Committee of the Corporation for approval and adoption.</p>
--------------	--

Amendment of rule 75 5. In the said rules, for rule 75 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
75. The monthly examination and audit of Corporation accounts shall be conducted by the Municipal Chief Auditor (Mukhya Nagar Lekha Parikshak) in the manner	75.(1) The monthly examination and audit of Corporation accounts shall be conducted by the Municipal Chief Auditor (Mukhya Nagar Lekha Parikshak) in the manner stated below: (a) All payment shall be audited

stated below:

- 1) All payment shall be audited as they incurred.
- 2) All receipts shall be examined as they are brought to account in the General Cash Book.
- 3) Subsidiary books and accounts may be examined daily or at the close of the month, as may be convenient.

as they incurred.

- (b) All receipts shall be examined as they are brought to account in the General Cash Book.
- (c) Subsidiary books and accounts may be examined daily or at the close of the month, as may be convenient.

**(2) CERTIFICATE BY
MUNICIPAL CHIEF
AUDITOR:**

At the end of each quarter, the Municipal Chief Auditor (Mukhya Nagar Lekha Parishak) shall furnish a certificate on the quarterly coverage to the **Executive Committee of the** Municipal Corporation in the following manner:

“Certified that the accounts from ---
----- to ----- have been audited by me and found correct with the exception of the following items:”

Note: The exceptions shall be explained in detail.

(3). While furnishing quarterly certificate/report, the Municipal Chief Auditor (Mukhya Nagar Lekha Parishak) shall verify that:

- (a) whether the postings for the entries in the books of original entry have been correctly made in the respective ledger accounts;
- (b) whether all the books of accounts and supplementary registers that are prescribed in the Accounts Manual and other applicable regulations have been properly

	<p style="text-align: right;">maintained by the Corporation;</p> <p>(c) whether the Quarterly Financial Statements have been compiled on the basis of the actual entries in the books of accounts;</p> <p>(d) whether the period-end and reconciliation procedures prescribed have been carried out;</p> <p>(e) whether the Bank Reconciliation Statements have been prepared and are appropriate;</p> <p>(f) whether all grants from Government have been accounted at gross value with proper entries to various accounts.</p> <p>(4). For the purposes of examination of accounts and audit, the Municipal Corporation shall at the time of audit cause to be produced all accounts, registers, documents and subsidiary papers which may be required by the Auditor and assist them in their investigation.</p>
--	---

Amendment of rule 77

6. In the said rules for rule 77 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
<p>77(1). There shall also be an Annual Audit Report which shall be in two parts.</p> <p>(a) The objection statement containing</p>	<p>77(1). There shall be an Annual Audit of the accounts of Municipal Corporations. Subject to the provisions of the Act and these rules, the auditor shall perform the audit in such manner, as he thinks</p>

<p>outstanding objections shall deal with technical irregularities, omission and defects.</p> <p>(b) The audit note incorporating general and important matters brought to the notice of the authorities in the monthly reports shall also state the action taken by the authorities thereon. It shall also include statement showing the financial condition of the Mahapalika.</p> <p>(2). A copy of the Annual Audit Report shall be submitted by the Mukhya Nagar Lekha Parikshak to Government as soon as it is ready. The State Government may on receipt of the Report communicate their observations to the Mahapalika.</p>	<p>fit, having regard to the guidelines issued by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) and recognized professional standards and practices.</p> <p>The Annual Audit Report shall be in three parts.</p> <p>(a) The objection statement containing outstanding objections shall deal with technical irregularities, omission and defects.</p> <p>(b) The audit note incorporating general and important matters brought to the notice of the authorities in the monthly reports shall also state the action taken by the authorities thereon. It shall also include statement showing the financial condition of the Municipal Corporation.</p> <p>(c) The Report of the Auditor shall also specifically report on any other matter which the Government or the Municipal Corporation may have specifically required to be covered as a part of the Audit.</p> <p>(2). The Auditor shall, within ninety days of the end of the financial year, complete the audit and prepare an audit report.</p> <p>INSTRUCTION NOTE:</p> <p><i>The auditor's report shall mention:</i></p> <p>(i) <i>Whether he has obtained all the information and explanations which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purposes of his audit?</i></p> <p>(ii) <i>Whether, in his opinion, proper books of account as required by the Act, the Rules, the Accounts</i></p>
---	--

	<p><i>Manual, and any other stipulations have been kept by the Corporation so far as it appears from his examination of those books?</i></p> <p><i>(iii) Whether the Corporation's Balance Sheet, Income and Expenditure Statement, Receipts and Payments Statement and Cash Flow Statement dealt with by the report are in agreement with the books of accounts?</i></p> <p><i>(iv) Whether appropriate internal controls have been adhered to?</i></p> <p><i>(v) Whether all the payments have been made in accordance with the law?</i></p> <p><i>(vi) Whether any deficiency or loss appears to have been caused by the gross negligence or misconduct of any person (if yes, the amount of loss should be quantified) ?</i></p> <p><i>(vii) Whether any sum received on behalf of the Corporation which ought to have been brought into account of the Municipal Corporation by any person has been so brought?</i></p> <p><i>(viii) Whether any material impropriety or irregularity, other than those mentioned above, has been observed by him during the course of audit of accounts?</i></p> <p><i>(ix) Whether all the expenditures incurred by the Corporation are authorized by appropriate provision in the sanctioned budget, whether made originally or subsequently?</i></p> <p><i>(x) Whether all sums due to and received by the Corporation have been brought to account within the prescribed time limits?</i></p> <p><i>(xi) Whether all transactions (incomes, expenditures, assets and liabilities)</i></p>
--	---

	<p>are correctly classified?</p> <p>(xii) Whether in respect of all bills for charges on account of all works and other expenditure, proper certificates have been furnished in support of them and that no deviation has been made from the sanctioned plans and the estimates without the sanction of the competent authority?</p> <p>(xiii) Whether the amounts received as specific grants have been utilized for the purposes as stated in the grant sanction order?</p> <p>(xiv) Whether the Special Funds, have been created as per the provision of relevant statutes and whether the Special Funds have been utilized for the purposes for which created?</p> <p>(xv) Whether the Corporation is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets; whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account?</p> <p>(xvi) Whether physical verification has been conducted by the Corporation at reasonable intervals in respect of stores?</p> <p>(xvii) Whether the procedures of physical verification of stores followed by the Corporation are reasonable and adequate? If not, the inadequacies in such procedures should be reported;</p>
--	--

	<p>(xviii) <i>Whether any material discrepancies have been noticed on physical verification of stores as compared to book records, and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account?</i></p> <p>(xix) <i>Whether the valuation of stores is in accordance with the accounting principles laid down in the Accounts Manual? Whether the basis of valuation of stores is same as in the preceding year? If there is any deviation in the basis of valuation, and the effect of such deviation, if material, should be reported?</i></p> <p>(xx) <i>Whether the parties to whom the loans, or advances in the nature of loans, have been given by the Corporation are repaying the principal amounts as stipulated and are also regular in payment of the interest and if not, whether reasonable steps have been taken by the Corporation for recovery of the principal and interest?</i></p> <p>(xxi) <i>Whether there exists an adequate internal control procedure for the purchase of stores, including components, plant and machinery, equipment and other assets?</i></p> <p>(xxii) <i>Whether proper procedures are in place to identify any unserviceable or damaged stores and whether provision for the loss in this respect, if any, has been made in the accounts?</i></p> <p>(xxiii) <i>Whether the Corporation is regular in depositing Provident Fund dues and other statutory taxes deducted with the appropriate authorities and, if</i></p>
--	---

	<p><i>not, the extent of arrears?</i></p> <p><i>(xxiv) Whether the Corporation is regular in depositing tax deducted at source (income tax and works contract tax) and other statutory dues and, if not, the nature and cause of such delay and the amount not deposited?</i></p> <p><i>(xxv) Whether any personal expenses have been charged to revenue account? If so, the details thereof.</i></p> <p>(3) A copy of the Annual Audit Report shall be submitted to the Government within four months of the end of the financial year. The State Government may on receipt of the Report communicate their observations to the Corporation.</p> <p>(4). The State Government, the Comptroller and Auditor General of India, or the Municipal Corporation may additionally order Test Audit and/or Special Audits of the accounts and appoint the auditors thereof.</p>
--	--

Insertion of rule 78A

7. In the said rules, after rule 78, the following rule shall be inserted, namely:-

78A In compliance with the provisions of the Act, the Municipal Corporation shall, on quarterly intervals, place the audit note, audited financial statements etc. on its official website and notice boards of Central and Zonal offices, and publish the same in atleast two daily news papers having circulation in the municipal area for public disclosure.

Manoj
8.3.19
(Manoj Kumar Singh)
Principal Secretary

Final Double Entry-12.02.2019